| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **मानव बेनीवाल बनाम लो.सू.अ. ( कलक्टर कार्यालय जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या : 37 / 2022 | |

**21-03-2022**

अपीलार्थी मानव बेनीवाल पुत्र स्व. सुरेश बेनीवाल, पता 352, आनोक नगर, कनाड़िया रोड़, इंदौर ( एम पी. ) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.12.2021 में उसके द्वारा (1) मेरे पिता स्व. सुरेश बेनीवाल के स्वामित्व व आधिप्य की सम्पतियां जिला जोधपुर में स्थित है, ये सभी सम्पतियां स्व. सुरेश बेनीवाल पिता स्व. बाबूलाल बेनीवाल निवासी आनन्दपुर कालू, तहसील जैतारण जिला पानी राजस्थान, जिनका मृत्यु से पूर्व स्थाई निवास 352, आलोक नगर, कनाड़िया रोड़, इन्दौर (मध्यप्रदेश) था के नाम से भूमि अभिलेख में दर्जित है, के दस्तावेजात, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 287 दिनांक 14.03..2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में बतलाया कि अपीलार्थी मानव बेनीवाल को इस कार्यालय के पत्र संख्या 259 दिनांक 10.03.2022 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थी की सम्पतियां जोधपुर जिले में कहां पर स्थित है, जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है और ना ही आवेदन पत्र के संलग्न जोधपुर जिले में सिथत सम्पतियों से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न किये है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

लोक सूचना की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को उसके द्वारा चाही जा रही सूचना की विशिष्टियां अपूर्ण होने से प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की, परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियत अवधि में नहीं किया गया, जो खेदजनक है अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करे। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की विशिष्टियां अपूर्ण होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया, उक्त आदेश किसी प्रकार से हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी इस आदेश से व्यथित है तो द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर को करने का प्रावधान है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.10 17:17:48 IST
Reason: SelfAttested